भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3270

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

†3270. श्री राहुल गांधी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में खाद्य पदार्थों में मिलावट, संदूषण, नकली वस्तुओं और खाद्य सुरक्षा मानकों के बार-बार उल्लंघन के मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान परीक्षण किए गए तथा असुरक्षित पाए गए खाद्य नमूनों, शुरू किए गए मुकदमों, सजा पाने वालों की संख्या और खाद्य मिलावट के कारण हुई मौतों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य -वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यात्मक प्रयोगशालाओं की संख्या, औसत परीक्षण समय और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों सहित खाद्य-परीक्षण अवसंरचना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) एफएसएसआई द्वारा अधिसूचित ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है जिनमें भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों और जीवाणु संदूषण के परीक्षण की सुविधाएं नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोई नियामक ढांचा विशेष रूप से क्विक-कॉमर्स डार्क स्टोर्स पर भंडारण स्थितियों, तापमान नियंत्रण, स्वच्छता, पता लगाने की क्षमता और निरीक्षण आवृत्ति को नियंत्रित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का खाद्य का पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने, निगरानी को मजबूत करने और जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात का विनियमन करने का

अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

लगभग 98% खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम, 2006) के प्रावधानों का प्रवर्तन और कार्यान्वयन मुख्य रूप से अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित मानकों, प्रतिबंधों और अन्य वैधानिक अपेक्षाओं तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य क्षेत्र में निगरानी, मॉनिटरिंग, लक्षित प्रवर्तन अभियान, निरीक्षण और नमूना लेने संबंधी कार्यकलाप करते हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान (राज्य-वार) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अननुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक-I** में है।

एफएसएसएआई ने खाद्य और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए 259 एनएबीएल मान्यताप्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपीलीय सैंपल के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इन प्रयोगशालाओं को उनके एनएबीएल-मान्यता-प्राप्त दायरे के अनुसार खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए अधिसूचित किया गया है। खाद्य विश्लेषक को नमूना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर विश्लेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) के रिक्त पदों से संबंधित मामले केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के समक्ष उठाए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की स्वीकृत संख्या, वास्तविक संख्या और रिक्तियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

देश भर में भारी धातुओं, कीटनाशकों, सूक्ष्मजीव संबंधी मापदंडों आदि का परीक्षण करने की सुविधाओं से वंचित एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या 13 है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) के परीक्षण अवसंरचना को उन्नत और सुदृढ़ करने के लिए एफएसएसएआई ने सूक्ष्मजीव विश्लेषण सुविधाकेंद्रों की स्थापना और भारी धातुओं तथा कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए उच्च स्तरीय उपकरण (एचईई) के प्रापण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है।

एफएसएसएआई ने एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अनुसूची 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अनुपालन के लिए सामान्य स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं, जो क्लिक-कॉमर्स डार्क स्टोर्स जैसे भंडारण कार्यकलाप में शामिल सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों पर लागू होती हैं, को विनिर्दिष्ट किया है। उक्त विनियमों के अनुसूची 4 में खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली स्वच्छता और स्वास्थ्यकर संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें भंडारण की स्थिति, तापमान नियंत्रण, स्वच्छता, परिवहन, कीट-नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई और स्वच्छता, और ट्रेसबिलिटी (पता लगाने की क्षमता) को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड का रखरखाव, जैसा भी लागू हो, से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अननुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण					
क्र.सं.	**राज्य**	**विश्लेषण किए गए नमूने**	**अननुरूप नमूनों की संख्या**	**सिविल मामलें**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति सहित अधिनिर्णीत	**दोषसिद्धियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5,798	429	196	16
3	अरुणाचल प्रदेश	191	10	1	0
4	असम	1,444	117	0	0
5	बिहार	1,850	94	25	0
6	चंडीगढ़	603	53	71	17
7	छत्तीसगढ़	2,065	214	200	2
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	151	0	0	0
9	दिल्ली	1,684	109	32	16
10	गोवा	2,492	321	12	0
11	गुजरात	11,903	824	842	65
12	हरियाणा	2,335	723	1,424	116
13	हिमाचल प्रदेश	1,589	321	359	9
14	जम्मू और कश्मीर	6,546	664	1,368	14
15	झारखंड	1,281	356	73	0
16	कर्नाटक	13,349	537	248	33
17	केरल	16,746	1,863	1,026	330
18	लद्दाख	519	26	12	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12,448	757	1,790	32
21	महाराष्ट्र	7,694	1,335	2,445	8
22	मणिपुर	570	0	1	0
23	मेघालय	388	22	0	0
24	मिजोरम	198	1	0	0
25	नागालैंड	238	13	0	0
26	ओडिशा	1,110	61	0	0
27	पुदुच्चेरी	388	84	0	0
28	पंजाब	7,809	1,031	723	25
29	राजस्थान	17,325	4,594	2,695	31
30	सिक्किम	418	7	6	0
31	तमिलनाडु	44,603	3,984	1,359	857
32	तेलंगाना	3,576	398	0	0
33	त्रिपुरा	304	14	0	0
34	उत्तर प्रदेश	39,519	20,427	14,890	342
35	उत्तराखंड	1,937	224	243	5
36	पश्चिम बंगाल	14,737	410	1,837	0
	कुल	**2,23,808**	**40,023**	**31,878**	**1,918**

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े अनंतिम है और आगे की प्रयोगशाला जांच तथा न्यायालयीन कार्यवाही के परिणामों के आधार पर इसमें संशोधन किया जा सकता है।

वर्ष 2024-2025 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अननुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण					
क्र.सं.	राज्य	विश्लेषण किए गए नमूने	अननुरूप नमूनों की संख्या	सिविल मामलें	आपराधिक मामले
				शास्ति सहित अधिनिर्णीत	दोषसिद्धियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	810	4	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5984	514	464	8
3	अरुणाचल प्रदेश	125	9	7	0
4	असम	1705	234	0	0
5	बिहार	2863	124	25	0
6	चंडीगढ़	374	65	116	41
7	छत्तीसगढ़	2069	270	143	6
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	56	0	0	0
9	दिल्ली	2624	130	18	16
10	गोवा	1172	74	11	0
11	गुजरात	12387	901	859	91
12	हरियाणा	2233	500	599	59
13	हिमाचल प्रदेश	1587	293	471	0
14	जम्मू और कश्मीर	6955	651	1,239	29
15	झारखंड	364	138	52	0
16	कर्नाटक	9371	662	283	32
17	केरल	10767	1635	1,088	206
18	लद्दाख	417	45	38	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13920	1635	2,597	22
21	महाराष्ट्र	5403	1250	1,147	0
22	मणिपुर	126	1	2	0
23	मेघालय	388	5	0	0
24	मिजोरम	0	2	0	0
25	नागालैंड	223	11	0	0
26	ओडिशा	2282	273	27	0
27	पुदुच्चेरी	173	0	0	0
28	पंजाब	4131	748	333	8
29	राजस्थान	13840	3788	3,114	30
30	सिक्किम	254	0	0	0
31	तमिलनाडु	18071	2240	1,536	492
32	तेलंगाना	3347	324	125	0
33	त्रिपुरा	123	5	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30380	16500	14,920	215
35	उत्तराखंड	1509	140	256	4
36	पश्चिम बंगाल	14502	1217	672	6
	कुल	**170535**	**34388**	**30142**	**1265**

वर्ष 2023-2024 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अननुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण					
क्र.सं.	**राज्य**	**विश्लेषण किए गए नमूने**	**अननुरूप नमूनों की संख्या**	**सिविल मामलें**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति सहित अधिनिर्णीत	**दोषसिद्धियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	6439	472	646	8
3	अरुणाचल प्रदेश	501	11	2	0
4	असम	1139	125	0	0
5	बिहार	2806	126	79	0
6	चंडीगढ़	311	49	87	52
7	छत्तीसगढ़	1373	167	86	2
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	185	0	0	0
9	दिल्ली	3412	150	36	12
10	गोवा	599	16	17	0
11	गुजरात	15841	910	1701	65
12	हरियाणा	3485	856	593	47
13	हिमाचल प्रदेश	1618	401	376	2
14	जम्मू और कश्मीर	9057	750	1612	22
15	झारखंड	384	292	59	0
16	कर्नाटक	5492	286	75	16
17	केरल	10792	1304	854	134
18	लद्दाख	638	11	19	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	13998	2022	1938	46
21	महाराष्ट्र	5087	1174	154	0
22	मणिपुर	168	3	0	0
23	मेघालय	123	7	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	138	3	3	0
26	ओडिशा	2003	252	0	0
27	पुदुच्चेरी	31	0	0	0
28	पंजाब	6041	929	1204	102
29	राजस्थान	18536	3493	2181	12
30	सिक्किम	231	0	0	0
31	तमिलनाडु	18146	2237	2195	478
32	तेलंगाना	6156	973	425	0
33	त्रिपुरा	87	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	27750	16183	14627	163
35	उत्तराखंड	1998	192	332	0
36	पश्चिम बंगाल	5948	414	285	0
	कुल	**170513**	**33808**	**29586**	**1161**

वर्ष 2022-2023 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा गैर-अनुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण

क्र.सं.	राज्य	विश्लेषण किए गए नमूने	अननुरूप नमूनों की संख्या	सिविल मामलें	आपराधिक मामले
				शास्ति सहित अधिनिर्णीत	दोषसिद्धियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1200	46	58	0
2	आंध्र प्रदेश	3607	314	339	12
3	अरुणाचल प्रदेश	258	11	0	0
4	असम	602	99	0	0
5	बिहार	2935	92	39	0
6	चंडीगढ़	473	64	27	8
7	छत्तीसगढ़	1468	96	119	8
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	164	10	13	0
9	दिल्ली	3133	255	86	10
10	गोवा	699	103	11	0
11	गुजरात	14562	978	547	24
12	हरियाणा	4445	1425	915	35
13	हिमाचल प्रदेश	2720	729	93	1
14	जम्मू और कश्मीर	13502	1195	1592	15
15	झारखंड	943	370	44	8
16	कर्नाटक	3416	322	191	15
17	केरल	8533	1362	454	33
18	लद्दाख	220	6	23	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	12507	2092	1908	71
21	महाराष्ट्र	11077	1340	198	5
22	मणिपुर	169	4	0	0
23	मेघालय	409	41	0	0
24	मिजोरम	140	0	0	0
25	नागालैंड	109	6	0	0
26	ओडिशा	1368	367	47	0
27	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
28	पंजाब	8179	1724	1404	5
29	राजस्थान	13184	3965	2435	4
30	सिक्किम	279	0	4	0
31	तमिलनाडु	24188	7924	3714	678
32	तेलंगाना	4809	894	315	0
33	त्रिपुरा	31	8	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30140	18108	13148	251
35	उत्तराखंड	1839	342	507	5
36	पश्चिम बंगाल	6203	334	233	0
कुल		**177511**	**44626**	**28464**	**1188**

वर्ष 2021-2022 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अननुरूप खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण					
क्र.सं.	**राज्य**	**विश्लेषण किए गए नमूने**	**अननुरूप नमूनों की संख्या**	**सिविल मामलें**	**आपराधिक मामले**
				शास्ति सहित अधिनिर्णीत	**दोषसिद्धियों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	850	4	5	0
2	आंध्र प्रदेश	5290	533	484	6
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2	0	0
4	असम	520	67	5	0
5	बिहार	555	17	75	0
6	चंडीगढ़	388	28	60	1
7	छत्तीसगढ़	1436	180	90	6
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	234	0	7	0
9	दिल्ली	1956	218	89	27
10	गोवा	200	14	2	0
11	गुजरात	13663	824	668	14
12	हरियाणा	4235	1182	78	21
13	हिमाचल प्रदेश	1745	308	249	0
14	जम्मू और कश्मीर	8109	1735	1931	4
15	झारखंड	175	85	42	8
16	कर्नाटक	5844	150	125	0
17	केरल	7855	925	237	10
18	लद्दाख	47	19	12	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	16059	2900	2030	72
21	महाराष्ट्र	9580	1454	787	12
22	मणिपुर	236	3	1	1
23	मेघालय	70	5	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	127	14	0	0
26	ओडिशा	1168	260	52	0
27	पुदुच्चेरी	5	2	2	0
28	पंजाब	6768	1059	0	8
29	राजस्थान	10386	2891	626	1
30	सिक्किम	66	5	0	0
31	तमिलनाडु	16363	3778	2884	360
32	तेलंगाना	3077	353	77	0
33	त्रिपुरा	31	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	21987	13153	8585	118
35	उत्तराखंड	2511	560	182	1
36	पश्चिम बंगाल	2701	207	52	1
कुल		**144345**	**32935**	**19437**	**671**

अनुलग्नक- **II**

राज्य-वार प्राथमिक और रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या

एफएसएसएआई द्वारा धारा 43 (1), एफएसएसए 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राथमिक प्रयोगशालाओं की संख्या							एफएसएसए आई द्वारा धारा 43 (2), एफएसएसए 2006 के अंतर्गत अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	एफएसएसएआई के स्वामित्व वाली और पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मोड में संचालित प्रयोगशालाएँ	सरकारी संस्थानों (एफएसएसएआई के अलावा) के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	निजी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	रेफरल प्रयोगशालाएँ (सभी सरकारी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ)
1	आंध्र प्रदेश				1	4	1
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						
3	अरुणाचल प्रदेश						
4	असम	1			1	1	
5	बिहार	1	1			2	
6	चंडीगढ़						
7	छत्तीसगढ़	1					
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव					1	

9	दिल्ली	1			1	14	
10	गोवा	1				1	
11	गुजरात	6			3	10	2
12	हरियाणा	2			1	17	2
13	हिमाचल प्रदेश	1				1	
14	जम्मू और कश्मीर	2					
15	झारखंड	1				1	
16	कर्नाटक	4				18	2
17	केरल	3			9	7	2
18	लद्दाख						
19	लक्षद्वीप						
20	मध्य प्रदेश	1				9	
21	महाराष्ट्र	5		1	1	32	4
22	मणिपुर	1					
23	मेघालय	1					
24	मिजोरम						
25	नागालैंड	1					
26	ओडिशा	1				1	
27	पुदुच्चेरी						
28	पंजाब	1			1	1	1
29	राजस्थान	10			1	5	
30	सिक्किम						
31	तमिलनाडु	6		1	1	17	3
32	तेलंगाना	1			2	9	4
33	त्रिपुरा	1			1		
34	उत्तर प्रदेश	6		1	3	5	2
35	उत्तराखंड	1				1	
36	पश्चिम बंगाल	2	1		3	6	1
कुल		**62**	**2**	**3**	**29**	**163**	**24**
		259					

अनुलग्नक **III**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य सुरक्षा अधिकारी		
		स्वीकृत	भरे गए पद	रिक्त पद
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19	17	2
2	आंध्र प्रदेश	145	47	98
3	अरुणाचल प्रदेश	3	16*	0
4	असम	77	41	26
5	बिहार	105	9	96
6	चंडीगढ़	8	5	3
7	छत्तीसगढ़	125	37	88
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	3	1
9	दिल्ली	32	19	13
10	गोवा	39	35	4
11	गुजरात	306	162	144
12	हरियाणा	45	23	22
13	हिमाचल प्रदेश	22	14	8
14	जम्मू और कश्मीर	101	79	22
15	झारखंड	77	20	57
16	कर्नाटक	210	210	0
17	केरल	160	160	0
18	लद्दाख	7	8*	0
19	लक्षद्वीप	0	9*	0
20	मध्य प्रदेश	367	157	210
21	महाराष्ट्र	350	318	32
22	मणिपुर	34	17	17
23	मेघालय	25	21	4
24	मिजोरम	9	7	2
25	नागालैंड	7	5	2
26	ओडिशा	147	63	84
27	पुदुच्चेरी	7	0	7
28	पंजाब	60	52	8
29	राजस्थान	398	318	80
30	सिक्किम	4	2	2
31	तमिलनाडु	394	326	68
32	तेलंगाना	81	44	37
33	त्रिपुरा	23	11	12
34	उत्तर प्रदेश	662	552	110
35	उत्तराखंड	57	20	37
36	पश्चिम बंगाल	190	174	16
	कुल	**4300**	**3001**	**1312**

* संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं या आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
